

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट(यो0)-11/2013- 87 (एज) खाद्य,पटना-15,दिनांक - 30-03-17

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना, बिहार ।

जिला पदाधिकारी- पटना, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, जमुई, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चम्पारण, सारण, गोपालगंज, सहरसा, कटिहार एवं किशनगंज ।

विषय:-

मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष:-102 सिविलपूर्ति योजना, उपशीर्ष 0105 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं0-पी0 3456001020105, मांग सं0-18 के 13 01 कार्यालय व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु पुर्नविनियोग से प्राप्त राशि से कुल 75,23,923/- रुपये (पचहत्तर लाख तेईस हजार नौ सौ तेईस) मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में पुर्नविनियोग से प्राप्त राशि को वित्त विभाग के पत्रांक 423/वि0 दिनांक 31.03.2016, पत्रांक 4572 दिनांक 03.06.2016 एवं पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में कुल 75,23,923/- रुपये (पचहत्तर लाख तेईस हजार नौ सौ तेईस) मात्र को आवश्यकतानुसार / नियमानुसार व्यय करने की अनुमति दी जाती है ।

2. इस राशि की निकासी राज्य योजना के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष:-102 सिविलपूर्ति योजना, मांग संख्या-18, उपशीर्ष 0105 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं0-पी0 3456001020105 के विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत विकलनीय होगी ।

3. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-474 दिनांक 30.03.2017 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है ।

4. इस राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जाएगी । राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाएगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है । गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे ।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे ।

6. इस राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र / व्यय विवरणी विभाग को अनिर्वाय रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

- 7 दिये गये आवंटन प्रस्ताव में सरकार के सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।
- 8 विभागीय पत्रांक 1420 दिनांक 20.03.2017 के आलोक में आवंटन निर्गत किया जाता है ।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(यो0)-11/2013-87(एजए) खाद्य,पटना-15,दिनांक - 30-03-17  
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(यो0)-11/2013-87(एजए) खाद्य,पटना-15,दिनांक - 30-03-17  
प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी,, बिहार,  
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।


ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(यो0)-11/2013-87(एजए) खाद्य,पटना-15,दिनांक - 30-03-17  
प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी 07 तथा आई0टी0  
मैनेजर (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु)/प्रशाखा 05 (लेखा शाखा दो प्रतियो) में खाद्य एवं  
उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

**NFSA अन्तर्गत वितरित राशन कार्ड की संख्या के आधार पर जिलों को डाटा संग्रहण, सत्यापन (Cleaning/ deduplication) से संबंधित प्रपत्र मुद्रण हेतु विपत्र कोड-पी0-3456001020105 के 13 01 कार्यालय व्यय अन्तर्गत जिलावार आवंटित राशि ।**

क्र० सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	6
1	विशिष्ट अनुभाजन, पटना	1,92,000
2	पटना	1,04,218
3	रोहतास	7,29,909
4	नवादा	2,71,194
5	औरंगाबाद	5,08,726
6	अरवल	93,441
7	जमुई	6,87,262
8	मधुबनी	15,70,000
9	सीतामढ़ी	3,58,326
10	समस्तीपुर	6,16,310
11	पू० चम्पारण	6,66,005
12	मुजफ्फरपुर	5,95,000
13	प० चम्पारण	73,734
14	सारण	3,37,144
15	गोपालगंज	3,61,798
16	सहरसा	1,33,742
17	कटिहार	71,114
18	किशनगंज	1,54,000
कुल योग :-		75,23,923

75,23,923 / - रुपये (पचहत्तर लाख तेईस हजार नौ सौ तेईस) मात्र

  
सरकार कि विशेष सचिव ।

